



# हिमालयन आयुर्विज्ञान संस्थान

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की एक शैक्षणिक इकाई

## Himalayan Institute of Medical Sciences

A Constituent Academic Unit of Swami Rama Himalayan University



HIMS/2023/715

दिनांक: 28 जुलाई, 2023

सेवा में,

अध्यक्ष

काउन्सिलिंग बोर्ड / कुलपति

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन,

बायोंखाला, शिशमबाड़ा

देहरादून।

**विषय:-** विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2023-24 के लिए मेडिकल / डेंटल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट पी0जी0-2023 काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पत्रांक 653 / एच0एन0बी0यू0एम0यू0 / नीट पी0जी0 / 2023-24, दिनांक 05 जुलाई, 2023 तथा उक्त के क्रम में हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पत्र सं0 HIMS/2023/632 दिनांक 07 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के बिन्दु सं0-02 द्वारा वांछित सूचना निम्नवत् है:-

**बिन्दु -02 :- शुल्क का विवरण:-**

अवगत कराना है कि शासन द्वारा अनुमोदित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रथम नियमों के नियम-7 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कालेज हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अधीन संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा वर्ष 2017 में 03 (तीन) वर्षों हेतु किया गया था। तदोपरान्त उक्त निर्धारित शुल्क विगत 06 (छः) वर्षों तक लागू रहा। सत्र 2023-2024 हेतु उक्त शुल्क पुनरीक्षित किया गया है। विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कालेज हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में संचालित पी0जी0 (एम0डी0 / एम0एस) पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का विवरण निम्नवत् है:-

Sr. No.	Programme	Tuition Fee per annum
1.	MD - Anatomy MD - Physiology MD - Biochemistry MD - Community Medicine MD - Pharmacology MD - Microbiology	No Tuition Fee
2.	MD - Pathology	Rs. 12,50,000/-
3.	MD - Immuno Hematology & Blood Transfusion	Rs. 15,00,000/-





# हिमालयन आयुर्विज्ञान संस्थान

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की एक शैक्षणिक इकाई

## Himalayan Institute of Medical Sciences

A Constituent Academic Unit of Swami Rama Himalayan University



4.	MD - Radiation Oncology MD - Anesthesiology MS - Otorhinolaryngology MD - Emergency Medicine	Rs. 17,00,000/-
5.	MD - Respiratory Medicine MS - General Surgery	Rs. 25,00,000/-
6.	MS - Ophthalmology MD - Dermatology, Venereology & Leprosy MD - General Medicine MD - Pediatrics MD - Psychiatry	Rs. 26,00,000/-
7.	MS - Orthopedics MS - Obstetrics & Gynecology MD - Radio-diagnosis	Rs. 30,00,000/-

Note: As per provisions of Sub-Section (1) of Section 33 of the Swami Rama Himalayan University Act, programme-wise 40% seats shall be reserved for Permanent Residents of Uttarakhand and as per provision of Sub-Section (2) of Section 33 of the Act, programme-wise 26% rebate in tuition fee shall be applicable to 40% candidates who are admitted under the "Permanent Residents of Uttarakhand" category. The rebate in tuition fee to such candidates will be given after the last date of admission and on completion of the admission process.

उपरोक्त शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क (Other Fee):

Sl.no.	Particulars	Amount in Rs.
1	Admission Fee (One Time)	1,00,000/-
2	Security (Refundable only after completion of the bond, wherever applicable)	5,00,000/-
3	Hostel Fee : PG Girl's/ Boy's Hostel (Unmarried) PG Hostel (Married) : 2,10,000/- per annum	1,80,000/- per annum
4	Enrolment Fee (One Time)	1,000/-
5	Vaccination Charges	1,500/-
6	Mess charges	As per actuals
7	BLS + ACLS Course Fee (One time)	10,000/-
8	Convocation Charges (to be charged in the final year)	2,000/-
9	Alumni fee (to be paid in the final year)	1,000/-
		<b>Total : 7,95,500/-</b>

विदित है कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 यथा संशोधित अधिनियम 2010 एवं 2018 की धारा-12 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05/07/2018 द्वारा यह आदेशित किया गया कि "उत्तराखण्ड अनानुदानित





# हिमालयन आयुर्विज्ञान संस्थान

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की एक शैक्षणिक इकाई

## Himalayan Institute of Medical Sciences

A Constituent Academic Unit of Swami Rama Himalayan University



निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 यथा संशोधित अधिनियम 2010 एवं 2018 के प्रावधान स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक कॉलेजों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय व इसके संघटक कालेजों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का निर्धारण शासन द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के नियम-7 के अन्तर्गत किया जाना तर्कसंगत एवं विधिसम्मत है। अपीलीय प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश को उच्च शिक्षा विभाग के आदेश सं० 638/XXIV(3)/2018-05(06)2017 दिनांक 02 अगस्त, 2018 द्वारा लागू किया जा चुका है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश 1045/XXVIII(1)/2018-Writ-59/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2018 द्वारा निदेशक चिकित्सा शिक्षा को उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 02/08/2018 के क्रम में नियमानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया। माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (एम0एस0) सं०- 2566 वर्ष 2018, वर्तिका चौहान व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 26/04/2022 को अपीलीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 05/07/2018 को यथावत् रखते हुए यह निर्णय दिया है कि "उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम 2006", के प्रावधान स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय व इसके संघटक कालेजों पर लागू नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/04/2022 को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल की सम्मानित डिवीजन बेंच के समक्ष स्पेशल अपील सं० 125 वर्ष 2022, अपील सं० 130 वर्ष 2022 व अपील सं० 131 वर्ष 2022 दाखिल कर चुनौती दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने स्पेशल अपील सं० 125 वर्ष 2022 को दिनांक 10/06/2022 तथा अपील सं० 130 वर्ष 2022 व अपील सं० 131 वर्ष 2022 को दिनांक 20/06/2022 को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/04/2022 को यथावत् प्रभावी रखा।

आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
3. कुलसचिव, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय।

